कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/एफ–1/12102/सी.भ./विभिन्न विषय/रिशफल आवंटन/2020 दिनांक 20/7/2020

समस्त संयुक्त निदेशक,
स्कूल शिक्षा, सम्भाग कार्यालय।

विषयः– राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय) भर्ती परीक्षा 2016 में चयनित अभ्यर्थियों के माननीय न्यायालय निर्णय की पालना में रिशफल सम्भाग आवंटन पश्चात काउसंलिग के सम्बन्ध में।

प्रसंगः– इस कार्यालय का समसंख्यक पत्र दिनांक 14.07.2020

उपर्युक्त विषयान्तर्गत डी.बी.रिव्यू याचिका संख्या 267/2019 राज्य बनाम पूनम शर्मा व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 03.12.2019 (अन्तर्गत दायर डी.बी.स्पेशल अपील संख्या 815/2019 राज्य बनाम पूनम शर्मा में पारित समेकित निर्णय दिनांक 29.08.2019 अन्तर्गत एस.बी.सिविल याचिका संख्या 23680/2018 व अन्य समान 100 प्रकरणों में पारित समेकित निर्णय दिनांक 02.04.2019) की पालना में राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय) भर्ती परीक्षा 2016 में चयनित अभ्यर्थियों का रिशफल सम्भाग आवंटन के सम्बन्ध में प्रासंगिक पत्र द्वारा सूचित किया गया था। रिशफल मण्डल आवंटन के पश्चात जिन अभ्यर्थियों का मण्डल परिवर्तित हुआ है, उन्हें काउसंलिग प्रक्रिया से पदस्थापित किये जाने के सम्बन्ध में निम्नानुसार निर्देश प्रदान किए जाते है–

1. राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय) भर्ती परीक्षा 2016 में चयनित अभ्यर्थियों के माननीय न्यायालय निर्णय की पालना में रिशफल सम्भाग आवंटन हेतु शासन स्तर से अनुमोदित निम्नांकित **रिशफल सम्भाग आवंटन के पश्चात पदस्थापन की प्रक्रिया** की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावें।
2. वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय) भर्ती परीक्षा 2016 में चयनित अभ्यर्थियों का रिशफल सम्भाग आवंटन के तहत पूर्व आवंटित सम्भाग में परिवर्तन होने वाले अभ्यर्थियों को ही नवीन आवंटित सम्भाग में काउंसलिंग हेतु सम्मिलित किया जाना है अतः संलग्न सूची में अंकित अभ्यर्थियों को ही काउसंलिग में सम्मिलित किया जावें।
3. काउंसलिंग में सम्मिलित अभ्यर्थियों से पूर्व में वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय) भर्ती परीक्षा 2016 में नियुक्ति उपरान्त वर्तमान में कार्यरत होने के सम्बन्ध में वर्तमान पदस्थापित संस्था प्रधान से प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करावें।
4. सम्भाग परिवर्तित अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि पूर्व सम्भाग से नवीन सम्भाग आवंटित होने पर उक्त अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में भाग लेने तथा पदस्थापन आदेश जारी होने के उपरान्त नवीन पदस्थापित विद्यालय हेतु कार्यमुक्त किया जाना सुनिश्चित करावें।
5. वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय) भर्ती परीक्षा 2016 में रिशफल आवंटन पश्चात सम्भाग परिवर्तन वाले अभ्यर्थियों की वरिष्ठता का विलोपन नहीं होगा।
6. वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय) भर्ती परीक्षा 2016 में नियुक्त अभ्यर्थी जो सक्षम स्तर से स्वीकृति के उपरान्त प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है, उन अभ्यर्थियों को काउसंलिग में सम्मिलित नहीं करना है, प्रतिनियुक्ति समाप्ति उपरान्त नवीन आवंटित मण्डल में पदस्थापन किया जावेगा।
7. रिशफल मण्डल आवंटन में जिन अभ्यर्थियों का मण्डल परिवर्तित हुआ है उनके समस्त दस्तावेज (मूल विस्तृत आवेदन पत्र, सेवा पुस्तिका, निजी पंजिका इत्यादि) पदस्थापन आदेश जारी होने के 15 दिवस में सम्बन्धित नवीन पदस्थापित विद्यालय में भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे।
8. रिशफल आवंटन में विशेष विवरण में जिन अभ्यर्थियों के सम्मुख विशेष विवरण का अंकन किया गया है उसी अनुरूप कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें।
9. जिन अभ्यर्थियों का मण्डल परिवर्तित हुआ है उन सभी अभ्यर्थियों को काउसंलिग के उपरान्त पदस्थापन आदेश जारी होने पर नवीन आवंटित विद्यालय हेतु कार्यमुक्त किया जावे।
10. वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय) भर्ती परीक्षा 2016 में रिशफल आवंटन उपरान्त परिवर्तित अभ्यर्थियों की विषयवार काउंसलिंग दिनांक 25/07/2020 से आयोजित की जावे।

A रिशफल सम्भाग आवंटन के पश्चात पदस्थापन की प्रक्रिया :–

1. वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय) भर्ती परीक्षा–2016 के रिशफल आवंटन पश्चात जिन अभ्यर्थियों का सम्भाग परिवर्तन हो रहा है केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को नवीन आवंटित सम्भाग में पदस्थापन हेतु Counselling Camp (परामर्श शिविर) सम्मिलित किया जायेगा तथा **जिन अभ्यर्थियों का रिशफल आवंटन पश्चात सम्भाग परिवर्तन नहीं हुआ है, उनका पदस्थापन स्थान यथावत रहेगा।**
2. पदस्थापन हेतु प्रदर्शित किये जाने वाले स्पष्ट रूप से रिक्त पदों के चयन की प्रक्रिया :– सम्भाग को उपलब्ध करवाये गये पदस्थापन हेतु जिलेवार स्पष्ट रिक्त पदों का निर्धारण सम्भाग के सभी जिलों में सम्बन्धित विषय के उपलब्ध वरिष्ठ अध्यापक के स्पष्ट रूप से रिक्त पदों की संख्या के अनुपात में किया जावेगा। जिन अभ्यर्थियों का रिशफल मण्डल आवंटन में मण्डल परिवर्तित हुआ है, उन अभ्यथियों के पदस्थापन स्थान को रिक्त मानते हुए रिक्तियों में प्रदर्शित किया जावें।
3. पदस्थापन बाबत सम्भाग को उपलब्ध अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हेतु जिलेवार उपलब्ध रिक्तियों के अनुपात में विद्यालयों को निम्न प्राथमिकता के अनुसार प्रदर्शित किया जावेगा–
   a) वरिष्ठ अध्यापक के सम्बन्धित विषय के रिक्त पद वाले ऐसे मावि / उमावि जिनमें 50 प्रतिशत से अधिक शैक्षणिक पद रिक्त हो (कक्षा 9 से 10 के नामांकन के घटते हुए क्रम में)।
   b) यदि बिन्दु संख्या–a से उपलब्ध विद्यालयों की संख्या आवंटित अभ्यर्थियों की संख्या से कम हो तो वरिष्ठ अध्यापक के सम्बन्धित विषय रिक्त पद वाले मावि / उमावि(कक्षा 9 से 10 के नामांकन के घटते हुए क्रम में)।
   c) यदि बिन्दु संख्या–a व b से उपलब्ध विद्यालयों की संख्या आवंटित अभ्यर्थियों की संख्या से कम हो तो वरिष्ठ अध्यापक के सम्बन्धित विषय रिक्त पद वाले उप्रावि (कक्षा 1 से 8 के नामांकन के घटते हुए क्रम में)।
4. पदस्थापन की कार्यवाही केवल स्पष्ट रूप से रिक्त पदों पर ही की जावेगी।
5. टीएसपी एरिया में टीएसपी हेतु निर्धारित नियुक्ति नियमों के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जावे।
6. रिशफल सम्भाग आवंटन के पश्चात वरिष्ठ अध्यापक के पदस्थापन हेतु वरीयता क्रम का निर्धारण निम्न क्रम में किया जावे :–
   a) 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग अभ्यर्थी(राजस्थान लोक सेवा आयोग की मेरिट के क्रम में।)
   b) विधवा एवं परित्यकता महिला(राजस्थान लोक सेवा आयोग की मेरिट के क्रम में।)
   c) महिला अभ्यर्थी(राजस्थान लोक सेवा आयोग की मेरिट के क्रम में।)
   d) शेष अन्य अभ्यर्थी(राजस्थान लोक सेवा आयोग की मेरिट के क्रम में।)
7. संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) द्वारा बिन्दु संख्या A के अनुसार उपबिन्दु संख्या–1, 2, 3 एवं 4 के अनुसार तैयार की रिक्तियों की सूची एवं बिन्दु संख्या 6 के अनुसार तैयार की गई वरीयता सूची का प्रकाशन काउंसलिंग तिथि से एक दिन पूर्व विभागीय वेबसाईट तथा कार्यालय पर चस्पा किया जाकर वरीयता सूची में निर्धारित क्रमानुसार Counselling Camp (परामर्श शिविर) आयोजित किया जावेगा।
8. कार्मिक द्वारा Counselling Camp (परामर्श शिविर) में प्रदर्शित रिक्तियों में से चयनित रिक्त स्थान पर पदस्थापन के आदेश कैंप के दिन ही जारी कर विभागीय वेबसाईट और कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जायेंगे।
9. चयनित ऐसे अभ्यर्थी जो Counselling Camp (परामर्श शिविर) में अनुपस्थित रहेगें, उन्हे Counselling (परामर्श प्रक्रिया) पश्चात् संयुक्त निदेशक(स्कूल शिक्षा) द्वारा प्रकाशित रिक्तियों में शेष रही रिक्तियों पर पदस्थापन के आदेश कैंप के दिन ही जारी कर विभागीय वेबसाईट और कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जायेंगे।
10. आदेश जारी करने से पूर्व उपलब्ध रिक्तियों एवं कार्मिक की समस्त प्रविष्टियों (All Details where About) की जॉच कर आदेश जारी किये जावें, त्रुटियां नहीं हो। संस्थापन त्रुटियां होने पर संबंधित के विरूद्ध विभागीय जॉच सुनिश्चित की जावें।
11. संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) कार्यालय द्वारा Counselling Camp (परामर्श शिविर) आयोजन के दौरान वर्तमान में वैश्विक महामारी कोविड–19 की परिस्थितियों के अनुसार जारी एडवाइजरी में प्रदत्त निर्देशों की सम्यक पालना सुनिश्चित की जायेगी।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।

3. संयुक्त विधि परामर्शी, विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा ।
4. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित किए जाने हेतु।
5. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा को निर्देशित किया जाता हैं आपके जिलें में कार्यरत अभ्यर्थियों जिनका मण्डल परिवर्तित हुआ है को नवीन पदस्थापित विद्यालय हेतु कार्यमुक्त करवाये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करावे।
6. अनुभाग अधिकारी, शाला दर्पण अनुभाग कार्यालय हाजा को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. सम्बन्धित संस्था प्रधान को निर्देशित किया जाता है कि रिशफल मण्डल आवंटन के पश्चात जिन अभ्यर्थियों का मण्डल परिवर्तित हुआ है उन अभ्यर्थियों को नवीन संभाग में काउसंलिग में भाग लेने के पश्चात पदस्थापन आदेश जारी होने पर नवीन पदस्थापित विद्यालय हेतु निर्धारित समयावधि में कार्यमुक्त किया जाना सुनिश्चित करावें।
8. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर